IJAER/Nov-Dec 2022/Volume-11/Issue-6 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

बिहार के रोहतास जिले के ग्रामीण महिलाओं पर हिंसा का अध्ययन

Mamta kumari

Research scholar, Veer Kunwar University , Ara , Bihar

Dr. Subhash Chandra Singh

Assistant Professor, Department Of Sociology

Sher Shah College , Sasaram

सार

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। महिलाएं हर अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और सामंजस्यपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब महिलाओं को पुरुषों के साथ प्रगति में समान भागीदार माना जाएगा। आंकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्याः–प्रस्तुत विषय पर शोध प्रबन्ध का उद्देश्य स्वयं द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ो और उनके विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रूडोल्फ टेरे के अनुसार, ''गुणात्मक आंकड़ो का विश्लेषण कुछ कठोर नियमों और प्रक्रियाओं के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया है, (2006)।''आंकड़ो का विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र अध्ययन के दौरान प्राप्त किये गये आंकड़ो का व्यवस्थित तार्किक व सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। हिंसा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंचाता है जिससे महिला परिवार व बच्चों के विकास में सकारात्मक योगदान नही दे पाती है। हिंसक पारिवारिक वातावरण कभी भी समाज के लिए लाभदायक नही हो सकता। अतः समाज की रक्षा के लिए हिंसा के विषय पर सम्पूर्ण जागरूकता की जरूरत है जिससे इसे दूर किया जा सके और एक स्वस्थ्य और सुन्दर समाज का निर्माण किया जा सके।

मुख्य शब्दः *महिला* , *विकास* , *ग्रामीण*

प्रस्तावना

भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज रहा है। जहाँ कि जीवन का हर पक्ष किसी न किसी रूप में धर्म द्वारा परिभाषित संचालित एंव नियंत्रित रहा है। अतः भारतीय सन्दर्भ में नारी भी अपने विभिन्न रूपों में धर्म से परिबद्ध रही है। नारी की पूर्णता का प्रमुख आधार विवाह माना गया, जिसे भारतीय संस्कृति में जन्म–जन्मान्तर का रिश्ता, धार्मिक संस्कार एंव अटुट बन्धन माना गया। इन्हीं धारणाओं एवं विश्वासों के फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में सामजस्य की समस्या कभी सामनें नहीं आई। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि परम्परागत धारणाओं से प्रभावित होकर पति पत्नी अपनी निजी इच्छाओं को कम महत्व देते हुए पारस्परिक मतभेद व असमानताओं के होते हुए भी एक दूसरे से संबंध विच्छेद करने की अपेक्षा परस्पर समझौता करते हुए पारिवारिक जीवन को धार्मिक बन्धन मानकर परस्पर सामंजस्य करने का प्रयत्न करते थे ।

यद्यपि भारतीय समाज के परम्परागत रूप में पुरूष प्रमुख रहा है और नारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह पति को देवता मानें तथा सास–ससुर की पूजा करें और जिस घर में उसकी डोली आई है, उससे अर्थी ही बाहर जायें अर्थात अपने सम्पूर्ण जीवन में अपनी इच्छाओं के विपरीत परिस्थितियों (शोषण) को मूक बनकर सहन करें। अतः नारी हर प्रकार के शोषण को सहन करना ही अपना कर्त्तव्य समझती है। औरत एक माँ, बहन, पत्नी, बेटी होती है। ये सारी भूमिकाएँ वह अपने जीवन में निभाती है। औरत एक नई पीढी को जन्म देती है । उसका विकास करती है और इस प्रकार समाज बनता है। अतः हम कह सकते है कि समाज का निर्माण करने वाली महिला ही है। फिर भी समाज में औरतों को हीन समझा जाता है। समाज पुरूषों को उस पर नियंत्रण का अधिकार देता है। वही नियंत्रण अलग–अलग हिंसा का रूप ले लेता है। कुछ लोग इस हिंसा को जरूरी समझकर आदमी और औरत के बीच गैर बराबरी को बढाते है ।

इस अपराध को सही ठहराने के कई तर्क या बहाने है जैसे कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिये, ये तो औरत का नसीब है और औरतों को तो नियंत्रण में ही रहना चाहियें। समाज में महिलाओं पर कई तरह से हिंसा होती है जैसे महिलाओं का खरीदना बेचना एक आम धंधा है। नासमझ बच्चियों को बहला–फुसलाकर या झूठा लालच दिखाकर जैसें अच्छी शादी, अच्छी नौकरी, सुन्दर जिन्दगी उन्हें धन्धे में धकेल दिया जाता है। कई बार मजबूर माता–पिता भी कन्या को एक चीज समझकर बेच देते है।

एक शादीशुदा औरत को ससुराल में गाली–गलौच और सास–ससुर आदि का दुर्व्यवहार सहना पडता है। वे बहु को अपनी सम्पत्ति समझते है व धन प्राप्ति का जरिया भी अगर उनकी यह इच्छा पूरी न हो तो बहू पर तरह–तरह से हिंसा दुर्व्यवहार व अत्याचार करते है। खाना बनाना औरतों का कार्य समझा जाता है। पसन्द न आने पर आदमी समझता है कि उसे औरतों पर हिंसा करने का पूरा हक है, परन्तु आदमी गलत काम करें या अपने कर्त्तव्य को पूरा न करें तो औरत को यह हक नहीं कि वह अपनी असन्तुष्टि दिखायें।

परिवार के अन्दर औरतों को किसी भी तरह का निर्णय लेने नहीं दिया जाता है, चाहे इससे उनके जीवन पर प्रभाव ही क्यों न पड़ें। अक्सर एक औरत की शारीरिक व मानसिक जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पुरूष कई बार अपनी पत्नी से बात नहीं करता। यदि पत्नी उसकी कोई जरूरत पूरी न करें या समझें।

कई समाजों में पुरूषों को दूसरी पत्नी लाने का अधिकार होता है। यह स्थिति दोनों पत्नियों मे तनाव पैदा करती है। लेकिन महिला नाखुश है तो भी दूसरा पति नहीं रख सकती है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ अभद्रता व उत्पीडन आम बात है। मौखिक व शारीरिक छेडछाड़ भी यौन उत्पीडन माना गया है।

समाज पुरूष को अपनी यौन इच्छाए पूरी करने की छूट देता है। परन्तु स्त्री को अपने अपने शरीर व यौनिकता पर किसी भी प्रकार का हक नहीं देती। पुरुष कण्डोंम का प्रयोग या नसबंदी नहीं करवाता तो औरत को ना चाहते हुये भी गर्भ धारण करना पड़ता है। उसे एडस, यौन रोग आदि खतरों का सामना करना पडता है। परिवार को छोटा करने या वंश बढानें हेतु बेटे की मांग पर औरत को गर्भपात करवाना पडता है।

एक पति जब अपनी पत्नी को छोड देता है। उसे घर से निकाल देता है। सामाजिक बदनामी के डर से पिता के घर में भी उसे जगह नहीं मिलती। समाज उनकों नए सिरे से जीवन शुरू करने का कोई रास्ता नहीं दिखाता।

जन्मते ही लडकी की हत्या अभी भी हमारें समाज में जारी है। सारी जिन्दगी औरत को हिंसा के डर से जीना पडता है। नन्हीं बच्चियों को कई तरह से मारा जाता है। जन्म के बाद विष पिलाकर सांस घोटकर या पानी में डुबोकर जान ले ली जाती है। कभी उनकों नमक चटाकर या भूखा रखकर भी मारा जाता है और कहीं मां के स्तन पर जहर लगाकर बच्ची को दूध पिलातें वक्त भी मार दिया जाता है।

यदि जन्म के तुरन्त बाद न भी मारा गया तो माँ का दूध कुछ महीने ही नसीब होता है। उन्हें ठीक से पालन–पोषण नहीं मिलता है। बीमार पड़े तो इलाज की सुविधा तो दूर की बात है, उन्हें सही खान–पान व देखभाल भी नहीं मिल पाता। इस कारण नन्ही कन्याएँ बचपन से ही तरह–तरह की बीमारियों और छूत के रोगों का शिकार बन जाती है व सदा के लिए अच्छी तन्दुरूस्ती से वंचित रह जाती है।

प्रायः सभी काम महिला व पुरूष दोनो समान रूप से कर सकते है ऐसी कुछ बाते आवश्यक है जो महिला व पुरूष को शारीरिक रूप से प्राकृतिक कारण से अलग करती है। जैसे महिला का गर्भधारण करना, बच्चें को दूध पिलाना. पुरुष के ढाढी का होना आदि। ये सभी स्त्री पुरूष के जैविक भेद है जो कभी नहीं बदलेंगें। लेकिन आज कानून की मदद से औरतों के मामले में ठोस सुधार हमारे आस पास जरूर हो रहे है जैसे लडकियाँ पढनें जाती है, 18 वर्ष की उम्र में शादी महिला स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रही है। अच्छा जीवन जीने के लिए समाज के सभी लोग (महिला व पुरूष) का योगदान आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बनाए है ये कानून महिला अधिकार के रक्षक है।

अनुच्छेद 16 में दिये हुये अधिकार का महत्व विशेष उल्लेखनीय है इस व्यवस्था के अनुसार लोक सेवाओं में स्त्री एवं पुरूष को बिना भेद किये अवसर की समानता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद –19 में स्त्री अथवा पुरूष दोनो को ही अपनी बात को अभिव्यक्त करने की समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरह से किसी भी महिला को शोषण से बचाने के लिए हमारी सरकार ने कई कानून बनाये है, जिनका उपयोग करके महिलाएँ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इन सब अधिकारों के परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से महिला अधिकारों को कानून की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है जितना कि हम इसे समझ रहे है। यह तो समस्या का एक छोटा सा अंश मात्र था। समस्या किस विकराल रूप में हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुडी हुई है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं पर होने वाले हिंसा के परिणाम और समाधान के बारे में जानना।
2. ग्रामीण महिलाओं पर हिंसा रोकने में शिक्षा और आर्थिक सुदृढ़ ता किस हद तक एक दूसरे के पूरब है, इसका पता लगाना ।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह शोध सर्वेक्षण प्रणाली पर आधारित है, जो संरचित प्रश्नावली के साथ ली जाएगी। यह सर्वेक्षण रोहतास जिले में ऐच्छिक रूप से चयनित सासाराम प्रखण्ड में से ऐच्छिक प्रतिवर्ष के रूप में चयनित मुरादाबाद और मोकर पंचायत के गाँवों में किया जायेगा। 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सासाराम प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 2,10,875 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 109,875 तथा महिलाओं की संख्या 101,018 है। संरचित प्रश्नावली के द्वारा एकत्रित आँकड़ों / सूचना का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकीय पद्धति जैसे अनुपात, प्रतिशत दर, सह सम्बन्ध प्रतीपगमन आदि विषयों द्वारा किया जायेगा। जहाँ तक संभव हो प्राप्त विश्लेषण का तुलनात्मक अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय प्रकाशित शोध अध्ययनों से किया जा सकता है। 300 सूचकों का एक बड़ा प्रतिवर्ष बनाने के लिए ऐच्छिक रूप से चयनित गाँवों में से प्रत्येक गाँव से 30 सूचको का चयन किया जायेगा। प्रश्नावली प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए होगा, जिसमें आगे चलकर आवष्यक सुधार किये जा सकते है। यह समसामयिक अध्ययन है जिसका आधार वर्ष 2018–2019 के अन्तर्गत संग्रहित आँकड़े होंगे।

डेटा विश्लेषण

आंकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्याः–प्रस्तुत विषय पर शोध प्रबन्ध का उद्देश्य स्वयं द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ो और उनके विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रूडोल्फ टेरे के अनुसार, ''गुणात्मक आंकड़ो का विश्लेषण कुछ कठोर नियमों और प्रक्रियाओं के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया है।''आंकड़ो का विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र अध्ययन के दौरान प्राप्त किये गये आंकड़ो का व्यवस्थित तार्किक व सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है।

शामू व रेसनिक, (2003) शोध के सम्बन्ध में वैध परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़ो का विश्लेषण आवश्यक है।''आंकड़ो के विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह विश्वसनीय व वैद्य होने चाहिए ,क्योंकि उनकी वैधता पर ही उनके परिणाम निर्भर होते है।

महिला हिंसा का महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावः रोहतांस जनपद का एक समाजशास्त्रीय अध्ययनः–

सारणी सं0–1

परिवार के लोगो का महिलाओं के साथ व्यवहार

व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
अच्छा	13	6-5%
बुरा	75	37-5%
सामान्य	87	43-5%
बहुत बुरा	35	17-5%
योग	200	100%

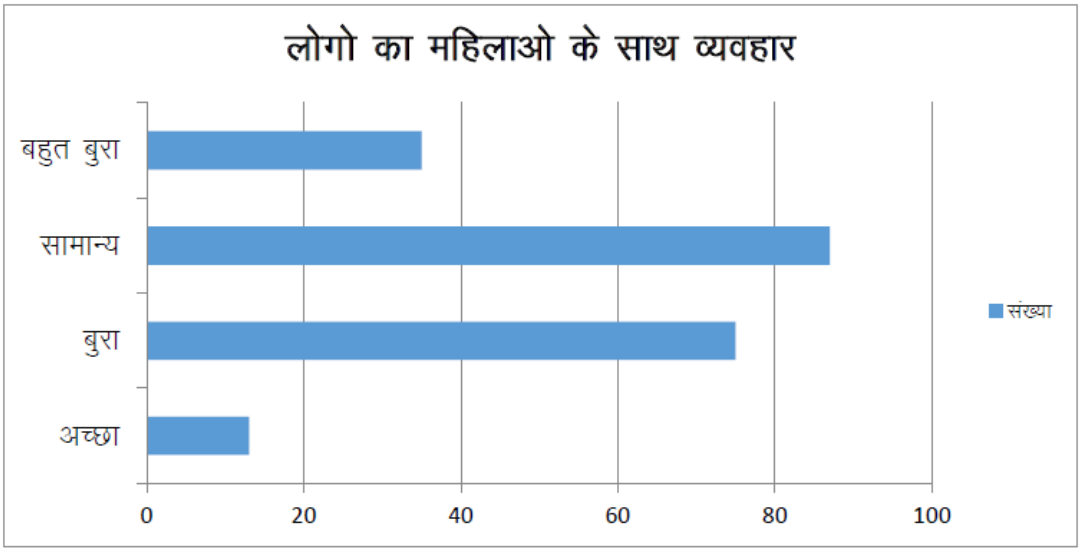

सरणी सं0–1,अनुसूची साक्षात्कार के दौरान ,13 महिलाओं ने बताया कि परिवार के सदस्य अच्छा व्यवहार करते है, लेकिन कभी–कभी हिंसा हो जाती है। 75 महिलाओं का अनुभव बुरा ,जबकि 87 महिलाओं ने सामान्य व्यवहार के बारे में बताया। 35 महिलाऐं ऐसी थी जिन्होनें अपने परिवार में बहुत बुरे व्यवहार के बारे में बताया।

सारणी 2.

महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत ,सामाजिक व पारिवारिक रूप में प्रस्तुति

स्वयं की प्रस्तुति	संख्या	प्रतिशत
अपने तरीके से	32	16%
पति जो कहते है	76	38%
परिवार के हिसाब से	53	26-5%
समाज को भी देखना है	39	19-5%
योग	200	100%

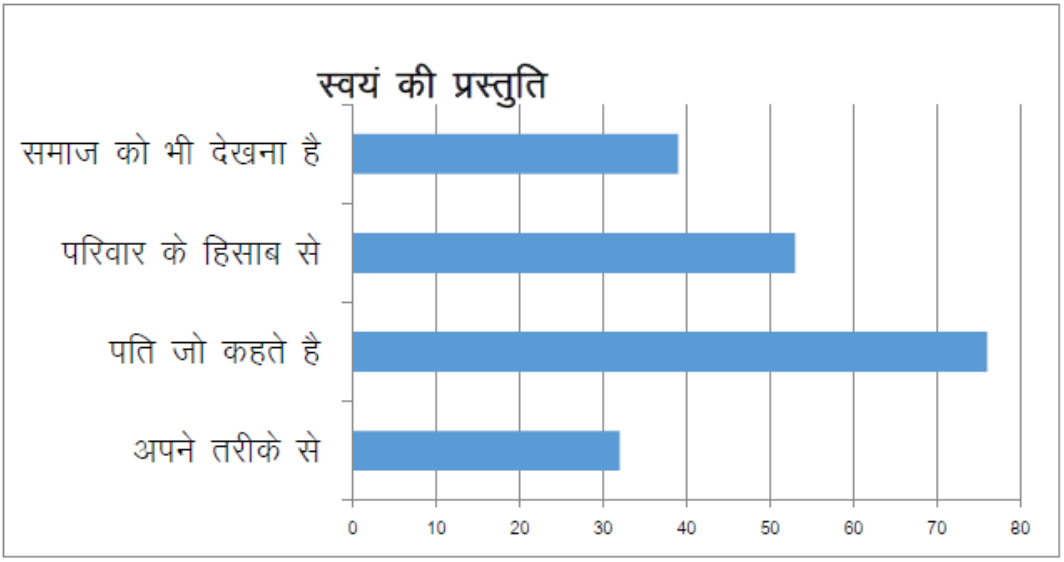

सारणी सं0–2. में, महिलाओं से जब उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक रूप से स्वयं की प्रस्तुति के बारें में पूछा गया, तो 32 (16%) महिलाओं ने कहा ,वह स्वयं अपने तरीके से खुद को प्रस्तुत करती है ,किसी के कहने से नही, कि उन्हें परिवार व समाज में कैसे प्रस्तुत होना है। 76 (38%) महिलाओं ने कहा ,वह पति के हिसाब से चलती है, तो 53 (26.5%) महिलाओं ने कहा कि परिवार जो कहता है ,वैसा करती है। 39 (19.5%) महिलाओं ने कहा कि समाज के अनुसार स्वयं को प्रस्तुत करना होता है।

सारणी सं0– 3

महिलाओं की आंकाक्षा व महत्वाकांक्षा

आकांक्षा महत्वकांक्षा	संख्या	प्रतिशत
बच्चों का भविष्य	65	32-5%
अपने को आत्मनिर्भर करना	38	19%
अपनी अलग पहचान बनाना	30	15%
अपने लिए कुछ सोचा नही	67	33-5%
योग	200	100%

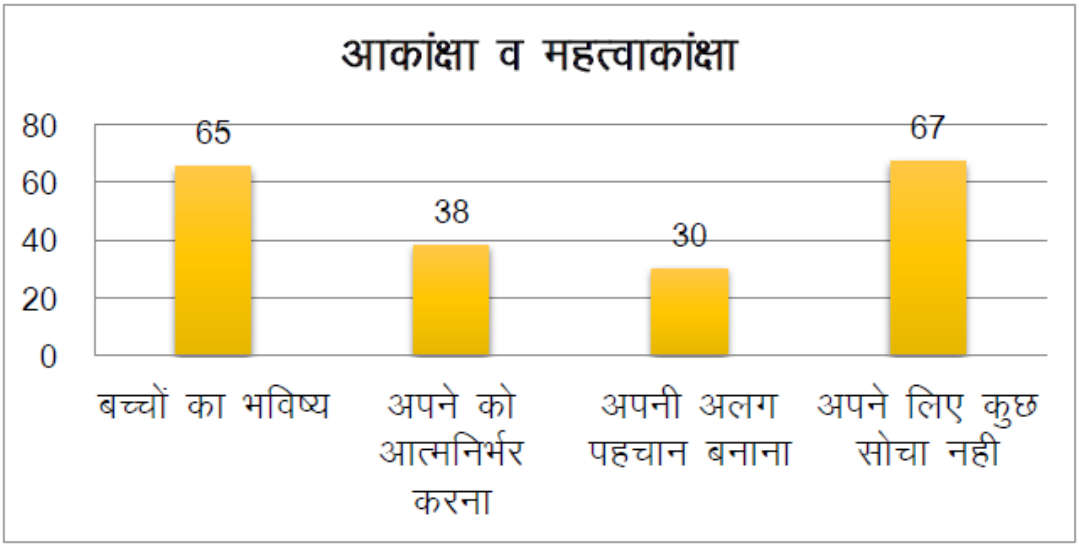

सारणी सं0–3 में ,महिलाओुं से उनकी आंकाक्षा व महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा गया। 65 (32.5%) महिलाओं ने कहा, कि बच्चों का भविष्य बन जाऐ ,तो उनकी आकांक्षा पूरी हो जायेगी। 38 (19%) महिलाऐं स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। 30 (15%) महिलाऐं परिवार से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती है, जबकि अधिकतर महिलाऐं 67 (33.5%) ने यह कहा, कि उन्होनें अपने लिए कुछ नही सोचा है।

परिणाम

1. जीवन के प्रति उदासीनताः–भारतीय समाज में विवाह के उपरान्त महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आते है, अनेक रिश्ते और जिम्मेदारियां उनसे जुड़ जाती है। लेकिन जब वैवाहिक परिवार का वातावरण हिंसक और असामान्य होता है तो जीवन के सुख व आनन्द समाप्त हो जाते है। अपने अध्ययन में मैने पाया कि महिलाऐं अपने रिश्ते की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लादे हुए है। वह स्वयं के जीवन के प्रति उदासीन हो जाती है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपना जीवन बिताती है।

2. प्रतिरोध क्षमता की कमीः–महिलाओं के सन्दर्भ में यह देखा कि वह अपनी बात रख नही पाती है, और न ही गलत बात का प्रतिरोध कर पाती है। अध्ययन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि महिलाओं को बचपन से ही समायोजन करना सिखाया जाता है चाहे परिस्थितियां जो भी हो उन्हें प्रतिरोध नही करना है। यही कारण है कि वह गलत व हिंसक व्यहार को बर्दाश्त करती है।

3. असुरक्षा की भावनाः—महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, जो महिलाऐं कानून की शरण में आती है उन्हे न्याय मिलने में सालो लग जाता है। ऐसे में बहुत सी महिला अपना केस वापस ले लेती है। इसके अलावा वह यह भी सोचती है कि यदि वह हिंसा का विरोध करेंगी तो कोई उनकी मदद नही करेगा। यदि कोई संस्था उनकी मदद करती भी है तो भी वह इस संशय में रहतीर है कि क्या वह हिंसा के वातारण से निकल पायेगी, यही सारी बाते उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ाती है।

4. आत्मदोषारोपणः—समाज में महिला को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे सभी परेशानी व समस्या की वजह वही है। इस तरह की मानसिकता महिलाओं के मनस पटल पर बहुत घातक प्रभाव डालती है। कई संस्थानों में अध्ययन करते समय यह पता चला कि जब महिलाऐं अपने पति द्वारा हिंसा के बारे में बताती है तो वह पति द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के लिए स्वयं को दोष देती है।

5. स्वयं को महत्व नहीः—महिलाऐं स्वयं को कभी महत्व नही देती है, वो खुद को पिछड़ा हुआ व कमजोर मानती है। उनका यह मानना है कि पुरूष के बिना उनका कोई अस्तित्व नही है। बिना पुरूष के समाज में स्त्री की कोई जगह नही है। वह कितनी भी पढ़—लिख जाऐ लेकिन स्वयं को पुरूष से कम समझती है।

उपर्युक्त शोध अध्ययन के परिणामस्वरूप मैनें यह पाया कि महिलाओं का जीवन निराशा से भरा हुआ है, उनके आत्मविश्वास की कमी है। वह समाज का सामना करने से डरती है।

महिलाओं को अपनी समस्या का सामना स्वयं करना होगा, उन्हें स्वयं को पहचानकर अपनी शक्ति को जानना होगा वह किसी से कम नही है इस विश्वास को अपने अन्दर जगाकर ही वह अपने लिए एक नये सवेरे की शुरूआत कर सकती है।

उपसंहार

पीड़ित महिलाओं के जीवन का करीब से अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि हमारे समाज में महिलाओ को एक कमजोर प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा सभी निर्योग्यताऐं महिलाओं पर लाद दी गयी है, जो कि सही नही है। हम आये दिन किसी न किसी माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करते है कि समाज में हिंसा बढ़ रही है न केवल घरेलू हिंसा बल्कि अन्य तरह की हिंसा ने भी समाज के वातावरण को दूषित किया है। यह सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्यों समाज हिंसात्मक होता जा रहा है। मैने अपने अध्ययन कार्य में जो जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर मेरा सुझाव है कि किसी भी समाज की संरचना उस समाज के व्यक्ति, समूह, कार्य नियमों पर आधारित होती है जिनमें व्यक्ति समूह, कार्य, नियमों पर आधारित होती है, जिनमें व्यक्ति मुख्य होता हैं क्योंकि सभी चीजे उसके ही ईर्द—गिर्द होती है। यह व्यक्ति किसी न किसी परिवार से आते है। यह एक बड़ा तथ्य है यदि हम समाज व्यवस्था में सुधार चाहते है तो हमारे पारिवारिक व्यवस्था में सुधार करना होगा! स्वयं की सुरक्षा के लिए सबकी सुरक्षा करनी होगी। हम स्वयं तभी सुरक्षित है जब सभी सुरक्षित है। समाज में बदलाव की जरूरत है और सबसे बड़ा बदलाव है समाज की सोच को बदलना।

संदर्भ सूचि

1. कलमस डी.एस., और स्ट्रॉस, एम.ए. 1982. 'ए वाइफ्स मैरिटल डिपेंडेंसी एंड वाइफ एब्यूजश, जर्नल ऑफ मैरिज एंड द फैमिली, 44(2), पीपी 277–286।
2. कापलान, एच.बी. 1972. 'टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डीविएंसरू द केस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर', सोशल साइंस एंड मेडिसिन, 6, पीपी. 593– 617.
3. खान, एम.ई., टाउनसेंड जे., सिन्हा आर., और लखनपाल एस. 2002. 'सेक्सुअल वॉयलेंस विदिन मैरिजरू ए केस स्टडी ऑफ रूरल उत्तर प्रदेश, इंडिया', इंटरनेशनल क्वार्टरली कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशनरू ए जर्नल ऑफ पॉलिसी एंड एप्लाइड रिसर्च, 21 (2), पीपी। 133–146।
4. किशोर, सुनीता और कीर्स्टन जॉनसन। 2004. घरेलू हिंसा की रूपरेखा – एक बहुदेशीय अध्ययन। ओआरसी मैक्रो: कैल्वर्टन, मैरीलैंड।
5. कोएनिग, एम.ए., इरीना जब्लोत्स्का एट अल। 2003. 'कॉर्डर्ड फर्स्ट इंटरकोर्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग एडोलसेंट वीमेन इन रकाई, युगांडा', इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग पर्सपेक्टिव्स, 30(4), पीपी. 156–163।
6. कोएनिग एम.ए., स्टीफेंसन आर., अहमद एस., जेजीभॉय एस.जे., कैम्पबेल जे. 2006. 'इंडिविजुअल एंड कॉन्टेक्स्टुअल डिटरमिनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन नॉर्थ इंडिया', अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, 138, 96(1), पीपी.132–138 .
7. कुम्फर के. 1999. 'मादक पदार्थों का सेवन करने वाले माता–पिता के बच्चों के अध्ययन में हस्तक्षेप के परिणाम उपाय', बाल रोग। अनुपूरक, 103(5), पीपी.1128–1144।
8. लेवेस्क, आर.जे.आर. 2001. संस्कृति और पारिवारिक हिंसा। वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन।
9. लेविंसन, डी. 1989. क्रॉस–कल्चरल पर्सपेक्टिव में पारिवारिक हिंसा। नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।
10. महाजन, अमरजीत. 1990. सुषमा सूद (संपा.) में 'इन्स्टिगेटर्स ऑफ वाइफ बैटरिंग': महिलाओं के खिलाफ हिंसा। जयपुर: अरिहंत प्रकाशन।
11. महाजन, अमरजीत और मधुरिमा। 1995. भारत में पारिवारिक हिंसा और दुर्व्यवहार। नई दिल्ली: गहरा और गहरा।
12. मजूमदार, बी. 2004. 'एन एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशियो–इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल एंड फैमिली सपोर्ट अमंग एचआईवी–पॉजिटिव वीमेन इन इंडियाश, जर्नल एसोसिएटिव नर्स एड्स केयर, मई– जून 15(3), पीपी. 37–46.